

**Duplicate Copy**

16-Jul-2024

**आदेश**

तिथि

Apr 26 2024

आदेश पर की  
गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा पतराकुल्ही थाना झरिया

खाता	प्लॉट	रकबा
80	6/1201	0 एकड़, 3.58 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
श्री निर्मल चन्द्रा	पिता	स्व० गंगाधर चन्द्रा

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 6447 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
धर्मदास चन्द्र वो जयदेश्वर चन्द्र वो निर्मल चन्द्र	पिता	गंगाधर चन्द्र
सुनील चन्द्र वो अनील चन्द्र	पिता	शिव दास चन्द्र
मु० कनक लता चन्द्र	पिता	शिवदास चन्द्र
धीरेन्द्र चन्द्र	पिता	रामचन्द्र

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

राजस्व उप निरीक्षक राहुल कुमार सिंह एवं अंचल निरीक्षक श्यामलाल मांझी के द्वारा ऑनलाइन अनुसंधित प्रतिवेदन के अलोक में दाखिल खारिज को स्वीकृत की जाती है

अतः वार्षिक लगान **5रुपये**

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

**स्वीकृत**

किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :

SHASHI KANT SINKER

अंचलाधिकारी धनबाद